| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मुरारी बनाम रा. सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30/3/26 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 13/4/26 को पेश हो। | |
| 13/4/26 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 22/4/26 को पेश हो। | |
| 22/4/26 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/4/26 को पेश हो। | |
| 29/4/26 | पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० अधि० वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/5/26 को पेश हो। | |
| 7/5/26 | पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 12/5/26 को पेश हो। | |
| 12/5/26 | पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० उप० प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। ~~[illegible]~~ विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० किया गया है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)**
**प्रार्थना पत्र कमांकः– 10/2023**

1. मुरारीलाल पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन।

............प्रार्थी

**बनाम**

1. भू–अभिलेख अधिकारी एवं जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार उच्चैन।
3. थानसिंह पुत्र हरमुख जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा
4. सुजानसिंह पुत्र हरमुख जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा
5. जबरसिंह पुत्र वृन्दाबन जाति जाट निवासी बहरारेखपुरा
6. दरबसिंह पुत्र वृन्दाबन जाति जाट निवासी बहरारेखपुरा
7. कोकचंद पुत्र अमोलकर जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा
8. मोतीलाल पुत्र शिवलाल मृतक
   - 8/1. तेजपाल पुत्र मोतीलाल
   - 8/2. डोरीलाल पुत्र मोतीलाल
   - 8/3. कुलवन्ती पत्नि मोतीलाल समस्त जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा
9. लालचंद पुत्र अमोलक जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा
10. महेश पुत्र रामचरन जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा
11. नरेश पुत्र रामचरन जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा
12. नाहरसिंह पुत्र वृन्दावन जाति जाट निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.................... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

**निर्णय** **दिनांकः–12.05.2026**

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1032 रकवा 0.84 से 1/3 हिस्सा बाके ग्राम बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन में स्थित है जिसको मनवट के आधार पर दर्ज रिकार्ड किया हुआ है तथा उक्त आराजी के प्रार्थी खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रार्थी के साबिक नम्बर 955/855 रकवा 5.04 से 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड रहा है जिसे भू–प्रबन्ध के द्वारा खसरा नम्बर 1032 ग्राम बहरारेखपुरा कर दिया गया है। साविक खसरा नम्बर 955/855 व 956/855 को नक्सा ट्रेस में एक ही खसरा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

नम्बर 855 से दर्शाया गया है जिसको सैटलमेन्ट के समय दो नम्बरान क्रमशः 1032 व 1033 के रूप में विभक्त करते हुये दर्शा दिया गया है। उक्त साविक नम्बर 855 राजस्व नक्शे में एक ही बना हुआ था परन्तु उक्त नम्बर मौके पर उनके खातेदारान के मध्य विभाजित थे व उसी प्रकार मौके पर काबिज थे लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के समय साविक खसरा नम्बर 855 को मौके के विपरीत नक्शे में तरमीम कर दिया है दो पृथक-पृथक नम्बर क्रमशः 1032, 1033 बना कर कब्जे के विपरीत नक्शा तरमीम कर दिया है। अतः राजस्व नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 1032 के स्थान पर खसरा नम्बर 1033 मुताबिक रकवा दर्ज किये जाने एवं खसरा नम्बर 1033 के स्थान पर खसरा नम्बर 1032 मुताबिक रकवा दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4, 6, 7 बाबजूद प्रोपर तामील एवं अप्रार्थी संख्या 3, 5, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर अदालत नहीं आये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का से जॉच मुताबिक खसरा नम्बर 955/855 रकवा 5-04 बीघा का हाल खसरा नम्बर 1032 रकवा 0.84है0 एवं खसरा नम्बर 956/855 रकवा 4-05 बीघा का हाल खसरा नम्बर 1033 रकवा 0.68है0 वाके ग्राम बहरारेखपुरा में है। ग्राम बहरारेखपुरा के नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 855 की एक ही आकृति है, कोई तरमीम नहीं है। जबकि जमाबंदी बीघा-विस्वा संवत् 2070-73 में 855 के दो टुकडे क्रमशः 955/855/5-04 एवं 956/855/4-05 दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त के वाद जमाबंदी संवत् 2074 में साविक खसरा नम्बर 955/855 का हाल खसरा नम्बर 1032 एवं साविक खसरा नम्बर 956/855 का हाल खसरा नम्बर 1033 हो गया है एवं नक्शा सीट में भी क्रमशः 1032, 1033 खसरा नम्बर हो गये है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का साविक खसरा नम्बर 855 था जोकि राजस्व नक्शे में एक ही बना हुआ था परन्तु मौके पर उक्त नम्बर उनके खातेदारान के मध्य मनवट के आधार पर विभाजित था परन्तु दौराने सैटलमेंन्ट उक्त साविक नम्बर से दो नये नम्बर बनाये गये जिनकी तरमीम राजस्व नक्शे में खिलाफ मौका एवं मनवट के विपरीत कर दी गयी है। राजस्व नक्शे में हाल खसरा नम्बर 1032 एवं 1033 की तरमीम मुताबिक मौका एवं मनवट की जाकर नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत् 2075-78, 2070-73 एवं नक्शा ट्रेस साविक खसरा नम्बर एवं हाल खसरा नम्बर बाके ग्राम बहरारेखपुरा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के जबाव से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के साविक खसरा नम्बर राजस्व नक्शे में एक ही बना हुआ था एवं उक्त नम्बर की राजस्व नक्शे में पृथक-पृथक तरमीम नहीं हो रखी थी। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा राजस्व नक्शे में शुद्धि से संबंधित कोई अभिशंषा नहीं की गई है एवं ना ही उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 12 के द्वारा राजीनामा या मौके

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

एवं मनवट के आधार पर राजस्व नक्शे में शुद्धि हेतु सहमति दी गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**अतः आदेश है:-**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)